

पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद अल्मोडा के विकासखण्ड हवलबाग की स्यूरा बर्शिमी ग्राम समूह पेयजल योजना के विस्तृत आगणन के अनुमोदनार्थ मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 06 सितम्बर, 2021 को आयोजित व्यय वित्त समिति की बैठक का कार्यवृत्त

मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 06 सितम्बर, 2021 में उक्त प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित थे:-

1. श्री नितेश कुमार झा, सचिव, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. डॉ० वी० षण्मुगम, सचिव (प्रभारी), नियोजन/वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. श्री उदय राज सिंह, एम०डी०, जल निगम, उत्तराखण्ड।
4. श्री एस०के० शर्मा, सी०जी०एम०, उत्तराखण्ड जल संस्थान, उत्तराखण्ड।
5. श्री के०के० रस्तोगी, मुख्य अभियन्ता (गढ़वाल), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, उत्तराखण्ड।
6. श्री एस०सी० पन्त, सी०ई०(एच०क्यू०), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
7. श्री गंगा प्रसाद पन्त, तकनीकी विशेषज्ञ, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
8. श्री डी०डी० डालाकोटी, सलाहकार (अभियन्त्रण), राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
9. श्री संजय सिंह, एस०ई० उत्तराखण्ड पेयजल निगम, पौड़ी गढ़वाल।

1. **कार्य की आवश्यकता एवं औचित्य** :- पेयजल की आवश्यकता के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि योजना में सम्मिलित 07 गांवों में वर्तमान में विभिन्न पुरानी योजनायें जो वर्ष 1978 से 1990 के मध्य निर्मित हुई है अपनी डिजाइन अवधि पूरा करने के कारण पेयजल आपूर्ति करने सक्षम नहीं रहे हैं। योजना में आच्छादित 07 गांवों-उस्कुना, बर्शिमी, स्यूरा, पैसारी, कोटूली, छौना एवं नैनोली में कुल 441 हाउस होल्ड तथा 441 ही FHTC प्रदान किये जाने हैं।
2. **भूमि की उपलब्धता** :- विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि योजना हेतु भूमि उपलब्ध है।
3. **योजना प्राविधान** :- योजना में मुख्य प्राविधान निम्न प्रकार है :-
 - आर०सी०सी० Infiltration well (4.00 mtr dia) ।
 - पम्प हाउस (5.5 मी० x 4.50 मी० x 3.50 मी०)।
 - आपरेटर ड्यूटी रूम (2.50 मी० x 3.00 मी०)।
 - **राइजिंग मैन** :- 100 एम०एम०/80 एम०एम० dia के एम०एस०ई०आर०डब्ल्यू० पाइप के साथ 5850 मीटर लम्बाई।
 - **Supply Main** :- विभिन्न साइज के जी०आई० पाइप के साथ 6575 लम्बाई।
 - **वितरण प्रणाली** :- विभिन्न साइज जी०आई० पाइप के साथ 24,148 मीटर।
 - योजना में 30 के०एल० एवं 130 के०एल० क्षमता के दो Clear Water Sump का प्राविधान किया गया है।
 - योजना में विभिन्न क्षमता के 07 Service Reservoir प्रस्तावित किये गये हैं जिनका विवरण निम्न है :-

Capacity in KL	Name of Zone	Proposed No.	Existing No.
12.50	Uskuna	1	0
12.50	Barsimi	1	0

Gant


10.00	Syura	1	0
17.50	Kotuli	1	0
30.00	Chauna	1	0
60.00	Nainoli	0	1
4.00	Silakhan	1	1
	Total	6	2

योजना में प्रस्तावित विद्युत यांत्रिक कार्यों का विवरण निम्नवत् है :-

1	Transmission Line 3 Phase 11 K.V.	3.0 KM		
2	Pumping Plant at intake well	Discharge of Pump 400 LPM - 2Nos.	Head (in M)	H.P.
			70	50
	Transformers	100 KVA - 1 Nos.		
3	Pumping Plant at IPS - I	Discharge of Pump 400 LPM - 2Nos.	Head (in M)	H.P.
	At MPS		680	225
	Transformers	400 KVA - 2 Nos.		
4	Pumping Plant at IPS - II	Discharge of Pump 400 LPM - 2Nos.	Head (in M)	H.P.
	At IPS I		590	200
	Transformers	400 KVA - 1 Nos.		

4. व्यय वित्त समिति की बैठक से पूर्व प्रस्तुत राज्य योजना आयोग का अभिमत :-

- 4.1 योजना के सम्बन्ध में विभागीय व्यय वित्त समिति की बैठक सचिव, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 13.07.2021 को सम्पन्न हुई।
- 4.2 पेयजल योजना में गुरुत्व आधारित सोर्स उपलब्ध न होने के कारण पम्प आधारित योजना प्रस्तावित है।
- 4.3 प्रस्तावित पेयजल योजना ग्राम सभा में ग्राम योजना, जिला जल एवं स्वच्छता समिति तथा एस0एल0एस0सी0 की बैठक से अनुमोदित है।
- 4.4 योजना के सम्बन्ध में जल स्रोत के Source Finding Report योजना में सम्मिलित की गयी है।
- 4.5 योजना पम्पिंग योजना के रूप में प्रस्तावित की गयी है जिसका जल स्रोत छोटी कोसी नदी है जिसका न्यूनतम जल श्राव 1500 एल0पी0एम0 अवगत कराया गया है तथा डिजाइन वर्ष में आवश्यक डिस्चार्ज 171.50 एल0पी0एम0 आकलित किया गया है।
- 4.6 पेयजल आपूर्ति का मानक शत-प्रतिशत जनसंख्या के लिए 55 एल0पी0सी0डी0 15 प्रतिशत अतिरिक्त मांग सम्मिलित करते हुए लिया गया है।
- 4.7 योजना की डिजाइन अवधि 30 वर्ष ली गयी है। आधार वर्ष 2023 तथा डिजाइन वर्ष 2053 रखा गया है।



- 4.8 योजना में आधार वर्ष 2023 में 2281 एवं डिजाइन वर्ष 2053 में 3019 जनसंख्या के आधार पर पेयजल मांग की गणना की गई है।
- 4.9 योजना के अन्तर्गत आच्छादित गांवों में 441 हाउस होल्ड है तथा योजनान्तर्गत 441 FHTC प्रदान किये जाने प्रस्तावित है।
- 4.10 योजना की प्रति FHTC लागत आधार वर्ष में ₹0 1,33,933 एवं डिजाइन वर्ष में ₹0 1,01,485 आंकलित की गयी है। प्रति व्यक्ति पेयजल की लागत आधार वर्ष 2023 में ₹0 25,894 एवं डिजाइन वर्ष में ₹0 19,564 आंकलित की गयी है।
- 4.11 योजना से वास्तविक आय आधार वर्ष 2023 में ₹0(-) 4,42,000 (हानि) एवं डिजाइन वर्ष में ₹0 13,06,000 आंकलित की गयी है।
- 4.12 योजना की लागत का विवरण निम्नानुसार है :-

(धनराशि ₹0 लाख में)

S. No.	Items	Amount		Community Contribution	Cost of Convergence	JJM cost (3+4)-5)
		S.I.	N.S.I.			
1	2	3	4	5	6	7
1	Cost of Water Supply Schemes	382.70	166.29	4.54	2.78	544.45

JJM Cost - Rs 544.45 lakh
 Convergence Cost - Rs 2.78 lakh
 Community Contribution - Rs 4.54 lakh

परियोजना की कुल लागत :- ₹0 551.77 लाख

- 4.13 राज्य योजना आयोग में आगणन के परीक्षण में ₹0 41.49 लाख की कटौती की गयी है। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कार्यों की लागत ₹0 544.45 लाख एवं Community Contribution मद में लागत ₹0 4.54 लाख एवं Convergence कार्यों की लागत ₹0 2.78 लाख है।
5. **व्यय वित्त समिति में विस्तृत चर्चा के उपरान्त निर्णय :-**

प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में व्यय वित्त समिति में विस्तार पूर्वक चर्चा की गयी, मुख्य सचिव महोदय/अध्यक्ष, व्यय वित्त समिति द्वारा आगणन में प्रस्तावित सभी कार्यों को निर्धारित समय अवधि में अनिवार्य रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

उपरोक्त के आलोक में प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव लागत सार-4.12 (Summary of Cost) में अंकित लागत के सारांश में उल्लिखित मदवार विवरण राज्य योजना आयोग स्तर पर परीक्षणोपरान्त लागत धनराशि ₹0 551.77 लाख को निम्न प्रतिबन्धों के साथ अनुमोदित किया गया :-


- 5.1 समिति को अवगत कराया गया है कि आगणन का गठन Consultants द्वारा किया गया है अतः निर्माण से पूर्व क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता कार्य स्थल के निरीक्षण के उपरान्त पेयजल योजना के Most Economic / Technically feasible विकल्प का चयन कर यह प्रमाण पत्र देंगे कि इससे अधिक मितव्ययी विकल्प उपलब्ध नहीं है, तदनुसार नियोजन विभाग को भी अवगत करायेगें।
- 5.2 जनसंख्या की गणना के सम्बन्ध में तहसील से पिछले दो दशक के आकड़ों के आधार पर जनसंख्या की गणना करने के उपरान्त ही परियोजना का क्रियान्वयन किया जाये।
- 5.3 विभाग/कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित करेगे कि डिजाइन वर्ष की मांग के अनुरूप न्यूनतम जल की मात्रा जल स्रोत में योजना की डिजाइन अवधि तक अवश्य उपलब्ध रहें।


Grant

- 5.4 योजना कार्यों पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
- 5.5 निर्माण सामग्री यथा रेत, बजरी, ईट, cement, Steel, Pipe एवं अन्य निर्माण सामग्री का I.S.Code के मानको के अनुरूप N.A.B.L. Laboratory से परीक्षण कराते हुए मानक विशिष्टियों के अनुरूप गुणवत्ता अवश्य सुनिश्चित की जाय।
- 5.6 आगणन में सिविल निर्माण कार्य हेतु डी0एस0आर0 /एस0ओ0आर0 एवं नॉन शिडयूल मदों हेतु बाजार की दरें ली गई है एवं उसी के अनुरूप मदें एवं विशिष्टियां भी उल्लिखित है। विशिष्टियों तथा दरों में परिवर्तन की दशा में कार्य की कुल स्वीकृत लागत में भी परिवर्तन हो सकता है। ऐसी स्थिति में प्रशासकीय विभाग के विभागाध्यक्ष की स्वीकृति अनिवार्य होगी। अतः मितव्ययता के दृष्टिकोण से यह अपरिहार्य है कि कार्यदायी संस्था योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय उन्ही मदों का आगणन में समावेश करेंगे जो अपरिहार्य मदें है।
- 5.7 योजना में प्राविधानित Plant and Equipment की आपूर्ति हेतु Cost effectiveness तथा Energy efficient system के अनुरूप कार्यवाही का विशेष ध्यान दिया जाय।
- 5.8 आगणन में प्राविधानित नॉन शिडयूल मदों के क्रियान्वयन में अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के प्राविधानों का अक्षरसः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- 5.9 मितव्ययता के दृष्टिकोण से यथासम्भव स्थानीय उपलब्ध सामग्री का ही उपयोग करेंगे तथा होने वाली बचतों से भी नियोजन को अवगत करायेंगे।
- 5.10 कार्य की तृतीय पक्ष गुणवत्ता नियन्त्रण का कार्य अवश्यमेव करा लिया जाय।
- व्यय वित्त समिति के उपरोक्त क्रमांक 5.1-5.10 तक निहित शर्तों का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

उक्त प्रतिबन्धों का समावेश इस सम्बन्ध में जारी किये जाने वाले शासनादेश में अवश्यमेव कर लिया जाय।

अन्त में अध्यक्ष, व्यय वित्त समिति द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त प्रतिभागियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।




(मनीषा पंवार)
अपर मुख्य सचिव


उत्तराखण्ड शासन,
राज्य योजना आयोग
(नियोजन विभाग)

संख्या 1158/741/ई0एफ0सी0/रा0यो0आ0/ पेयजल/2021-22

देहरादून: दिनांक: 20, सितम्बर, 2021

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रोग्रामर, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कार्यवृत्त को वेबसाइट में अपलोड करे।


(डॉ० वी० षण्मुगम)
सचिव (प्रभारी)